

एक अप्रैल से हरियाणा में हिन्दी में भी मल्लिंके अदालतों के आदेश

चर्चा में क्यों?

13 दसिंबर, 2022 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व अधकिरणों में हिन्दी भाषा के उपयोग के संबंध में यह नरिणय लया है क अड हरयाणा में न्यायालयों के आदेश हिन्दी भाषा में भी मल्लिंके। यह आदेश एक अपरैल 2023 से लागू होगा।

परमुख बढु

- हरयाणा राजभाषा अधनियम, 1969 के संशोधन करने के परस्ताव के संबंध में हरयाणा सूचना, जन संपर्क एवं भाषा वभाग द्वारा हरयाणा राजभाषा (संशोधन) अधनियम, 2020 (2020 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन परयोजनों के उपयोग के लये जारी अधसूचना को हरयाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अनुमोदति कर दया है।
- दैनिकी जीवन में लोग हिन्दी भाषा का अधिकतम उपयोग करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लये हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार आवश्यक है। इसके लये हरयाणा मंत्रमंडल ने जनवरी में एक परस्ताव को मंजूरी दी थी।
- राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लये इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिन्दी को अपनाने के लये हरयाणा राजभाषा अधनियम, 1969 को राज्य वधानमंडल द्वारा पारति कया गया था।
- हरयाणा राजभाषा अधनियम, 1969 के तहत हिन्दी को हरयाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया। तब से हिन्दी भाषा का उपयोग ज्यादातर प्रशासन की भाषा के रूप में कया जा रहा है।
- पंजाब राजभाषा अधनियम, 1967 में 1969 के पंजाब अधनियम संख्या 11 के द्वारा संशोधन कया गया था, जसमें धारा 3ए और 3बी जोड़े गए थे, क सभी सविलि न्यायालयों और आपराधिक न्यायालयों में पंजाब एवं हरयाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ और सभी राजस्व न्यायालय एवं अधकिरण में काम पंजाबी में कये जाएंगे।
- हरयाणा राजभाषा अधनियम, 1969 में धारा 3ए को जोड़ा गया है, जसके तहत पंजाब एवं हरयाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सविलि अदालतों और आपराधिक न्यायालयों में, सभी राजस्व अदालतें और रेंट ट्रिब्यूनलों या कसी अनय अदालत या राज्य सरकार द्वारा गठति न्यायाधकिरण, ऐसी अदालतों और न्यायाधकिरणों में कार्यवाही, कोई भी नरिणय या आदेश पारति, हिन्दी में भी होगा।